राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(58) आयो.–1/सां./2016 जयपुर, दिनांकः–18

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा–2011–12 में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का चयन किये जाने पर आयोजना विभाग के आज्ञा क्रमांक प.1(9)आयो./ग्रुप–1/सांख्यिकी/2011 दिनांक 16.03.2016 द्वारा सुश्री लक्ष्मी शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी मेरिट क्रमांक 58 रोल नं. 102021 को आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र में अंकित शर्तो में स्पष्ट है कि " यदि सरकार की राय में उपरोक्त सांख्यिकी अधिकारियों का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि प्रकरण विशेष में सांख्यिकी अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा। "

सुश्री लक्ष्मी शर्मा दिनांक 07.11.2016 से लगातार स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित रही हैं। सुश्री शर्मा अपने नियुक्ति दिनांक 11.04.2016 से पदस्थापन कार्यालयों में मात्र 5 दिवस ही उपस्थित रही हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत अस्वस्थता प्रमाण–पत्रों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 14.10.2016 को अपूर्ण पाया गया है तथा इन्हें कार्य हेतु स्वस्थ बताया है। इन्होंनें अपने अस्वस्थता से संबंधित गलत तथ्य विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। विभाग द्वारा अनेक पत्र एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र एफ.7(2)डीओपी/ए–2/2005 दिनांक 13.06.2008 के तहत दिनांक 18.04.2017 एवं 03.05.2017 को नोटिस जारी कर सुश्री शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा कार्यालय में उपलब्ध इनके दूरभाष नम्बर पर कई बार संपर्क करने पर भी ये सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुईं।

सुश्री शर्मा पदस्थापन के पश्चात् से स्वेच्छा से निरन्तर अनुपस्थित रही हैं। इनके द्वारा राजकीय आदेशों की लगातार अवहेलना की गई है एवं राजकीय दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार नहीं किया गया है।

अतः सुश्री लक्ष्मी शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भीलवाड़ा का परीवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 23 ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री लक्ष्मी शर्मा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव
आयोजना

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी)।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
7. कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भीलवाड़ा।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुश्री लक्ष्मी शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भीलवाड़ा द्वारा आयोजना (ग्रुप–1) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

D:\Lpiamofc work\ Office Order.